سُبُلُ الاَصْفِیَا فِی حُکْمِ الذَّبْحِ لِلاَوْلِیَاء

यानी

# ज़बीहे

# ईसाले सवाब

इमामे अहले सुन्नत आला हज़रत

इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ

मक्तबतुल मदीना

मेमन वाड़ा रोड, मीनारा मस्जिद, मुम्बई, ✆ 3760875

Scanned by CamScanner

# ZEBNEWS.IN

PRESENTED BY

NAUSHAD AHMAD "ZEB" RAZVI

ALLAHABAD

Scanned by CamScanner

औलिया अल्लाह के एसाले सवाब के लिए ज़बीहे (ज़ब्ह किये हुए जानवर) के हलाल होने का सुबूत

سُبُلُ الْاَصْفِیَا فِیْ حُکْمِ الذَّبْحِ لِلْاَوْلِیَاءِ

यानी

# ज़बीहे एसाले सवाब

तसनीफ़

इमामे अहले सुन्नत आला हज़रत
इमाम अहमद रज़ा رضی اللہ عنہ

तर्जमा

मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ अशरफ़ी रज़वी

नाज़िमे इशाअत

मौलाना नईमुद्दीन रज़वी

मकतबतुल मदीना

मेमन वड़ा रोड, मीनारा मस्जिद, मुम्बई।

Scanned by CamScanner

# पेशे अलफ़ाज़

मुसलमानों में बाज़ लोग बुज़ुर्गानि दीन के एसाले सवाब के लिए जानवर पालते हैं या ख़रीद कर लाते हैं और उसे ज़ब्ह करके उसकी नियाज़ या फिर उस का गोश्त तक़सीम करते हैं और उसका सवाब किसी बुज़ुर्ग की तरफ़ मनसुब कर देते हैं, पूछने पर कह देते हैं के येह फलॉ बुज़ुर्ग के नाम का जानवर हैं । इस तरीके को ग़ैर मुक़ल्लेदीन, वहीबी, देवबन्दी, शिर्क व कुफ़्र कहते हैं और समझते हैं के वोह जानवर हराम हो गया और हराम भी ऐसा कि अल्लाह का नाम ले कर भी ज़ब्ह करने से हलाल नही होता, उस नियाज़ के जानवर के खाने को ग़ैरूल्लाह का खाना बता कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं । अपनी इस हरक़त के सुबूत में वोह क़ुरआन की आयते करीमा——— وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ पेश करते हैं और इसका तर्जमा येह बताते है कि—"और वोह जानवर हराम है जिसे ग़ैर खुदा की तरफ़ मनसुब कर दिया जाए" । जबकी येह इस आयत का हरगिज़ मतलब नहीं बल्कि तमाम मुफ़स्सेरीन ने इस आयत का मतलब येह बयान किया हैं कि—"जिस जानवर को ज़ब्ह करते वक़्त ग़ैर खुदा का नाम लिया जाए वोह हराम है" । चुनानचे हज़रत शाह वली अल्लाह मोहद्दिस दहलवी जिन्हें वहावी भी बहुत मानते है वोह भी इस आयत का यही तर्जमा करते हैं । इस आयत के तर्जमे में उन्हों ने लिखा है—وآنچہ آواز بلند کردہ شود وقت ذبح وے بغیر خدا (فتح الرحمٰن) (यानी वोह जानवर (हराम है) जिस के ज़ब्ह करते वक़्त ग़ैरूल्लाह का नाम बुलन्द किया जाए ।)

और अगर फ़र्ज़ कीजिये क़ुरआन की इस आयत का मतलब वोह होता जो वहीबीयों ने समझा हैं तो क़ुरआन में दूसरी जगह येह इरशाद न होता कि—अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता हैं——— وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ———

*तर्जमा :-* "और तुम्हें क्या हुआ कि उस में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया वोह तुम से मुफ़स्सल बयान कर चुका जो कुछ तुम पर हराम हुआ" । (पारा सूरए अन्आम, आयत 119)

अहले सुन्नत का अक़ीदा येह हैं के जब एक मुसलमान अल्लाह तआला के लिए अल्लाह का नाम लेकर ज़ब्ह करता है और उसी के लिए जानवर का ख़ून बहाता है और उस का गोश्त पका कर लोगों को खिलाता है और इस सारे अमल का सवाब किसी बुज़ुर्ग को पहुँचाता है तो कोई वजह नहीं के उसे हराम क़रार दिया जाए ।

तमाम मुफ़स्सेरी के नज़दीक सिर्फ वोह जानवर ही हराम है जिस के ज़ब्ह के वक़्त ग़ैरूल्लाह का नाम लिया जाए न की किसी बुज़ुर्ग की तरफ़ उस जानवर की निसबत कर देना उसे हराम करेगा । अगर किसी की तरफ़ निसबत कर देने से जानवर हराम हो जाए तो फिर फलॉ की बकरी, फलॉ के अक़ीके का बकरा, फलॉ के वलीमे की गाये वग़ैरा कहने से भी येह जानवर हाराम हो जाएगे । (मआज़ल्लाह)

ज़ेरे नज़र किताब इमामे अहले सुन्नत ने 1312 हिजरी में तहरीर फ़रमाई थी, इस किताब में आला हज़रत ने क़ुरआने करीम, हदीसे मुबारका, व ओलामा-ए-दीन की किताबों से इस मस्अले को तफ़सील के साथ वज़ेह फ़रमा दिया है ।

मौला तआला मुसलमानों को नेक तौफ़ीक़ आता फ़रमाये । आमीन ।

Scanned by CamScanner

بسم الله الرحمن الرحیم

# मस्अला

क्या फ़रमाते है ओलमा-ए-दीन इस मस्अले में के जै़द ने एक बकरा मियाँ का और अम्र ने एक गाये चहेल तन (यानी सैय्यद अहमद कबीर رحمۃ اللہ) की और मुर्ग़ा मदार (यानी शेख बदीऊद्दीन मदार, मकन पुरी رحمۃ اللہ علیہ) का पाला और पाल कर उन को तकबीर (बिस्मिल्लाहि अल्लाहो अकबर) कह कर ज़ब्ह किया या किसी से कराया । उस का खाना मुसलमान को शरीअ़त में जाइज़ है या नहीं ?

# अलजवाब

हक़ इस मस्अले में येह है कि ज़ब्ह किये हुए जानवर के हलाल व हराम होने में ज़ब्ह करने वाले की नियत का एतेबार है, न जानवर के मालिक का । मसलन किसी मुसलमान का जानवर कोई मजूसी (आग को पूजने वला) ज़ब्ह करे तो हराम हो गया अगरचे जानवर का मालिक मुस्लिम था । और मजूसी का जानवर मुसलमान ज़ब्ह करे तो हलाल, अगरचे जानवर का मालिक मुश्रिक था । इसी तरह जै़द का जानवर अम्र ज़ब्ह करे और जान बुझ कर तकबीर न कहे वोह जानवर हराम हो गया अगरचे जानवर का मालिक अम्र बराबर खड़े सौ बार بسم اللہ اللہ اکبر (बिस्मिल्लाहि अल्लाहो अकबर) कहता रहे । और ज़ब्ह करने वाला तकबीर से ज़ब्ह करे तो हलाल हो गया अगरचे जानवर का मालिक एक बार भी न कहे । ज़ब्ह करने वाला मुसलमान सिर्फ़ ग़ैर खुदा की ईबादत व तअ़ज़ीम की नियत से जानवर ज़ब्ह करे तो हराम हो गया अगरचे जानवर के मालिक की नियत ख़ास अल्लाह عزوجل के लिए ज़ब्ह करने की थी । यूँही ज़ब्ह करने

वाले ने ख़ास अल्लाह عزوجل के लिए ज़ब्ह किया अगरचे मालिक की नियत किसी और के वास्ते थी ।

तमाम सूरतों में ज़ब्ह करने वाले के हाल (व नियत) का एतेबार मानना और ख़ास शक्ल में इन्कार कर जाना सिर्फ़ बे कार की ज़बारदस्ती है जिस पर शरीअ़ते मुतहर से हरगिज़ दलील नहीं । लिहाज़ा फ़िक़हा-ए-किराम ख़ास इस बात को साफ़ तौर पर फ़रमाते हैं के, मसलन मजूसी (आग पूजने वाले काफ़िर) ने अपने अतीश्कदेह (अग्निकुंड) या मुश्रिक ने अपने बुतों के लिए मुसलमान से बकरी ज़ब्ह कराई और उस ने तकबीर कह कर ज़ब्ह किया तो हलाल है, खाई जाए, अगरचे येह बात मुस्लिम के हक़ में मकरूह है । "फ़तावे अलमगीरी" व "फ़तावे तातार ख़ानिया" व "जामेउल फ़तावा" में है ---

مسلم ذبح شاۃ المجوسی لبیت نارھم او الکافر لالھتھم توکل لانہ سمی اللہ تعالٰی ویکرہ للمسلم -

(तर्जमा :- यानी मुसलमान ने आग की पूजा करने वाले काफ़िर की बकरी उनके आतिशकदेह (अग्निकंड) के लिए या काफ़िर की बकरी उनके बुतों के लिए ज़ब्ह की तो वोह हलाल है क्योंकि मुसलमान ने ज़ब्ह के वक़्त अल्लाह तआ़ला का नाम लिया है, हाँ येह बात मुस्लिम के हक़ में मकरूह है ।)

फिर मुसलमान ज़ब्ह करने वाले की नियत भी ज़ब्ह के वक़्त की क़ाबिले क़ुबूल है ज़ब्ह करने से पहले और बाद का एतेबार नहीं । ज़ब्ह से एक आन पहले तक ख़ास अल्लाह عزوجل के लिए नियत थी ज़ब्ह करते वक़्त ग़ैर खुदा के लिए जानवर ज़ब्ह कर दिया तो ज़ब्ह किया हुआ जानवर हराम हो गया । वोह पहली नियत कुछ नफ़ा न देंगी । यूँही अगर ज़ब्ह से पहले ग़ैर खुदा के लिए इरादा था ज़ब्ह के वक़्त उस से ताएब हो कर (यानी तौबा करके) मौला तबारक व तआ़ला के लिए जानवर का ख़ून बहाया तो वोह हलाल हो गया यहाँ वोह पहली नियत कुछ नुक़सान न देंगी ।

Scanned by CamScanner

"रद्दुल मोतार" में है-----------------------------------

اعلم ان المدار على القصد عند ابتداء الذبح -

(*तर्जमा* :- जान तू के ज़ब्ह करने के वक़्त नियत पर सब कुछ है ।)

गर्ज़ हर अक़लमन्द जानता है के तमाम कामों में अस्ल नियत है, नमाज़ से पहले ख़ुदा के लिए नियत थी तकबीर कहते वक़्त दिखावे के लिए पढ़ी यक़ीनन बहुत बड़े गुनाह का हक़दार हुआ और नमाज़ ना क़ाबिले क़ुबूल, और दिखावे के लिए उठा था नियत बान्धते वक़्त तक यही इरादा था जब नियत बान्धी ख़ास इरादा रब्बुल इज़्ज़त के लिए कर लिया तो बेशक वोह नमाज़ पाक व साफ़ व नेकी व क़ुबूल हो गई । तो ज़ब्ह से पहले की शोहरत, पुकार का कुछ एतेबार नहीं उस का फ़ायदा न नफ़ा दे, न नुक़सान कुछ नुक़सान दे, ख़ास जब के पुकारने वाला ज़ब्ह करने वाला न हो के उसे इस बारे में कुछ दख़्ल ही नहीं ।

كما قد علمت وهذا كله ظاهر جدا لا يصلح ان يتنازع فيه قوناء وحا -

(*तर्जमा* :- जैसा के तू ने जान लिया और सब बिल्कुल ज़ाहिर है इस लाएक़ नहीं के उस में लड़ा जाए ।)

फिर किसी चीज़ को किसी की तरफ़ मंन्सुब करना ईबादत नहीं के ज़बरदस्ती (शेख़ बदीऊद्दीन) मदार के मुर्ग़ या चहल तन (सैय्यद अहमद कबीर) की गाये के मअ्नी ठहरा लिए जाए के वोह मुर्ग़ा व गाये जिस से इन हज़रात की ईबादत की जाएगी, जिस की जान उन के लिए दी जाएगी, किसी चीज़ को किसी की तरफ़ मन्सुब करने को अदना तअ्ल्लुक़ काफ़ी होता है । ज़ोहर की नमाज़, जनाज़े की नमाज़, मुसाफ़िर की नमाज़, इमाम की नमाज़, मुक़्तदी की नमाज़, बीमार की नमाज़, पीर का रोज़ा, ऊँटों की ज़कात, काबे का हज, । जब इन चीज़ों को इस तरह मन्सुब करने से नमाज़ वग़ैरा में कुफ़्र व शिर्क व हराम तो दूर कराहत (ना पसंदगी) भी नहीं आती तो हज़रत मदार के मुर्ग़ हज़रत अहमद कबीर की गाये, फलॉं की बकरी कहने से येह ख़ुदा के हलाल किये हुए जानवर क्यों जीते जी मुरदार और

सुवर हो गए के अब किसी तरह हलाल नही हो सकते । येह शरीअ़त पर सख़्त जुर्अत है । खूद हुज़ूर पुरनूर सैय्यदुल मुर्सलीन صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم फ़रमाते है------------------------------

ان احب الصیام الی اللہ تعالیٰ صیام داؤد واحب الصلوٰۃ

الی اللہ عزوجل صلوٰۃ داؤد - (رواہ الائمۃ احمد والستۃ عن عبداللہ بن عمر

رضی اللہ تعالیٰ عنہما الا الترمذی فعندہ فضل الصیام وحدہ -)

"बेशक सब रोज़ों में प्यारे अल्लाह तआ़ला को दाऊद علیہ السلام के रोज़े है, और सब नमाज़ो में प्यारी दाऊद علیہ السلام की नमाज़ है" ।

ओ़लमा फ़रमाते है मुस्तहब नमाज़ों में "सलातुल वालिदैन" यानी माँ बाप की नमाज़ है । فی رد المحتار عن الشیخ اسماعیل عن شرح شرعۃ الاسلام من المندوبات صلوٰۃ التوبۃ وصلاۃ الوالدین -

(*तर्जमा* :- रद्दुल मोहतार में शेख़ इस्माईल से है वोह "शरहे शुरअ़तुल" इस्लाम से नक्ल करते है के नमाज़े तौबा और वालदैन की नमाज़ मुस्तहबों में से है ।)

سبحان اللہ । दाऊद علیہ السلام की नमाज़ दाऊद علیہ السلام के रोज़े, माँ बाप की नमाज़ कहना दुरूस्त व सही, पढ़ना सवाब और जानवरों को किसी की तरफ़ मन्सुब करना ही वोह सख़्त आफ़त के उस के मानने वाले, कुफ़्फ़ार, जानवर मुरदार, !! क्या ज़ब्ह करना नमाज़ रोज़े से बड़ कर ईबादते खुदा है या उन में शिर्क हराम, इन में सही ।

जानवर को किसी की तरफ़ मन्सुब करने और ज़ब्ह का फ़र्क़ सुनिये--रसूलुल्लाह صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم फ़रमाते है------------

"لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ" -

"खुदा की लअ़नत उस पर जो गै़र खुदा के लिए ज़ब्ह करे" ।

(रिवायत किया इसे मुस्लिम व नसाई ने हज़रत अमीरूल मोमेनीन मौला अली से और अहमद ने इब्ने अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہم से)

दूसरी हदीस़ में है---रसूलुल्लाह صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم फ़रमाते है--------

"من ذبح لضیفہ ذبیحۃ کانت فداءہ من النار"

"जो अपने महमान के लिए जानवर ज़ब्ह करे वोह जानवर उसका फ़िदया (बचाने वाला) हो जाए दोज़ख़ की आग से" ।

(रिवायत किया हाकिम ने अपनी तारीख़ में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہم से)

तो मालूम हुआ के गै़र खुदा के लिए ज़ब्ह करने में नियत और किसी बुज़ुर्ग की तरफ़ निस्बत आ़म कुफ़्र क्या हराम भी नहीं बल्कि सवाब का ज़रीया है, तो एक हुक्मे आम कुफ़्र व हराम क्यों कर सही हो सकता है ।

लिहाज़ा ओ़लमा फ़रमाते है आ़म गै़र की नियत (यानी किसी बुज़ुर्ग की तरफ़ निस्बत) को ना जाइज़ जानने वाला सख़्त जाहिल और क़ुरआन व हदीस व अक्ल़ का मुख़ालिफ़ है । आख़िर क़साब की नियत नफ़ा हासिल करना, और शादी में जानवर ज़ब्ह करने वाले की नियत बरात को खाना देना है । गै़र की नियत तो येहं भी हुई, क्या येह सब ज़बीहे (ज़ब्ह किये हुए जानवर) हराम हो जाएगे ! यूँही महमान के वासते जानवर ज़ब्ह करना दुरूस्त व सही है के महमान का एहतराम ख़ास खुदा की तअ़ज़ीम है । "दुर्रे मुख़्तार" में है-----

لو ذبح للضیف لایحرم لانہ سنۃ الخلیل واکرام الضیف اکرام اللّٰہ تعالیٰ -

(*तर्जमा :-* अगर महमान के लिए जानवर ज़ब्ह किया तो हराम नहीं इस लिए के येह हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह علیہ السلام की सुन्नत है और महमान की इज़्ज़त करना ख़ुदा की इज़्ज़त है ।)

"रद्दुल मोहतार" में है-----------------------------

قال البزازی ومن ظن انہ لایحل لانہ ذبح لاکرام ابن ادم فیکون اھل بہ لغیر اللّٰہ تعالیٰ فقد خالف القران و الحدیث والعقل فانہ لاریب ان القصاب یذبح للربح ولو علم انہ بنجس لایذبح فیلزم ھذا الجاھل ان لایاکل ماذبحہ القصاب وماذبح للولائم والاعراس والعقیقۃ -

(*तर्जमा :-* बज़्ज़ार ने कहा--और जिसने गुमान किया के येह हलाल नहीं इस लिए के किसी शख़्स की तअ़ज़ीम के लिए ज़ब्ह किया गया

है तो येह أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ में दाख़िल है । ऐसा कहने वाले ने क़ुरआन व हदीस और अक्ल की मुख़ालेफ़त की, इस लिए के इस में कोई शक नहीं के क़साब नफ़ा के लिए ज़ब्ह करता है और अगर उसे मालूम हो के उस में घाटा होंगा तो वोह कभी ज़ब्ह न करे । तो उस जाहिल को ज़रूरी है के जानवर को न खाए और ऐसे ही वलीमा, शादी, और अक़ीक़ा के लिए जो जानवर ज़ब्ह हो उसको भी न खाए ।)

देखो ! ओलमा-ए-किराम साफ़ इरशाद फ़रमाते है के आम नियत व ग़ैर की तरफ़ निस्बत करने को ना जाइज़ जानना और أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ में दाख़िल मानना न सिर्फ़ जहालत बल्कि पागल पन व दीवानगी और शरीअत व अक्ल दोनों से बेगानगी हैं, जब दुनिया को नफ़ा देने की नियत नुक़सानदाह न हुई तो फ़ातिहा व एसाले सवाब में क्या ज़हेर मिल गया । और जब महमान की तअ़ज़ीम ख़ास ख़ुदा की तअ़ज़ीम ठहरा तो औलिया की तअ़ज़ीम महमान की तअ़ज़ीम से बड़ कर हुई ।

हॉ अगर कोई बड़ा जाहिल येह निसबत व किसी की तरफ़ जानवर को ग़ैर की ईबादत के मक़सद से मन्सुब करता है तो उसके कुफ़्र में शक नहीं । फिर भी अगर ज़ब्ह करने वाला उस नियत से बरी है (यानी उसकी नियत ग़ैर की ईबादत की नहीं) तो जानवर हलाल हो जाएगा के ग़ैर की नियत उस पर असर नहीं डालती - كما حققنا آنفا

मगर जब के हम हदीसों व फ़ीक़हा-ए-किराम की दलीलों से साबित कर चुके के किसी की तरफ़ जानवर मन्सुब करना ईबादत की ग़र्ज़ से नहीं तो सिर्फ़ इस बिना पर हुक्मे कुफ़्र देना सिर्फ़ जहालत व जुर्अत व यक़ीनन हराम और मुसलमान पर ना हक़ बद गुमानी है । तुम से किस ने कह दिया के वोह आदिमों का जानवर कहने से आदमियों की ईबादत का इरादा करते हैं और उन्हें अपना मअ़बूद (ख़ुदा) बनाना चाहते हैं ।

Scanned by CamScanner

अल्लाह عزوجل फ़रमाता है-----------------------------

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ -

"अए ईमान वालो ! बहुत से गुमानों से बचो बेशक कुछ गुमान गुनाह है" ।

और फ़रमाता है अल्लाह तआला-----------------------------

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا -

"बे यक़ीन बात के पीछे न पड़, बेशक कान आँख और दिल सब से सवाल होना है" ।

रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमाते है-----------------------

ايا كم والظن فان الظن اكذب الحديث -

"बुरे गुमान से बचो के गुमान सब से बड़ कर झूटी बात है" ।

(रिवायत किया इसे इमाम मालिक व बुख़ारी मुस्लिम व अबूदाऊद व तिर्मीज़ी ने हज़रत अबूहुरैरह رضی اللہ تعالیٰ عنہ से)

और फ़रमाते है रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم-------------------

"तू ने उस का दिल चीर कर क्यों न देखा, के दिल के अक़ीदे पर तुझे ख़बर हो जाती" । افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا

(रिवायत किया इसे मुस्लिम ने असामा बिन ज़ैद رضی اللہ تعالیٰ عنہما से)

इमाम आरिफ़ बिल्लाह सैय्यदी अहमद ज़रूक़ رضی اللہ عنہ फ़रमाते है--

انما ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيث -

"बद गुमान, ख़बीस ही दिल से पैदा होता है" ।

(नक़्ल किया इसे सैय्यदी अब्दुल ग़नी नाबलसी ने शरहुल तरीकतुल मुहम्मदिया में)

लिहाज़ा "मुन्यिा" व "ज़ख़ीरह" व "शरहे वहबानिया" व "दुर्रे मुख़्तार" वग़ैरा में इरशाद फ़रमाया-----

انا لا نسيئ الظن بالمسلم انه يتقرب الى الادمى بهذا النحو -

"हम मुसलामन पर बद गुमानी नहीं करते के वोह इस ज़ब्ह से आदमी की तरफ़ क़ुर्बत चाहता है" ।

रद्दुल मोहतार में है -----

Scanned by CamScanner

اى على وجه العبادة لانه المكفر وهذا بعيد من حال المسلم -

"यानी इस क़ुर्बत से अगर ईबादत मुराद है तो इस में कुफ़्र है और इस का ख़्याल मुसलमान के हाल से दूर है" ।

बल्कि ओलमा तो यहाँ तक फ़रमाते है के अगर खूद ज़ब्ह करने वाला ज़ब्ह के वक़्त तकबीर में यूँ कहे بسم اللہ بنام خدائے بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم बिस्मिल्लाह बनामने खुदा बनामे मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم तो येह कहना मकरूह तो बेशक है मगर कुफ़्र कैसा, जानवर हराम भी न होंगा । जबके इस लफ़्ज़ से उसकी नियत हुजूर सैय्यदे आलम صلی اللہ علیہ وسلم की सिर्फ़ तअज़ीम हो । न मआज़ल्लाह हुज़ूर को रब عزوجل के साथ शरीक ठहराना ।

इमामे अजल फ़कीहुन्नफ्स क़ाज़ी ख़ाँ अपने फ़तवे में तहरीर फ़रमाते है-------------------------------------

رجل ضحی وذبح وقال بسم اللہ بنام خدائے بنام محمد علیہ السلام قال الشیخ الامام ابوبکر محمد بن الفضل رحمہ اللہ تعالیٰ ان اراد الرجل بذکر اسم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبجیلہ وتعظیمہ جاز ولاباس وان اراد بہ الشرکۃ مع اللہ تعالیٰ لاتحل انہ بیمۃ -

(*तर्जमा :-* किसी शख़्स ने क़ुर्बानी की और ज़ब्ह करते वक़्त "बिस्मिल्लाह बनामे खुदा-ए-बनामे मुहम्मद صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم कहा तो उस के बारे में शेख़ इमाम अबू बक्र मुहम्मद बिन फ़ज़ल رحمۃ اللہ علیہ फ़रमाते है के अगर उस शख़्स ने हुज़ूर के नामे मुबारक से आप की तअज़ीम का इरादा किया तो जाइज़ है और इस में कुछ हर्ज नहीं, और अगर उससे खुदा के साथ शरीक करने का इरादा किया तो जानवर हलाल नहीं" ।)

बल्कि इस से भी ज़्यादा ख़ास सूरत तो येह फेरना हुआ, मसलन बनामे खुदा और बनामे फ़लाँ, जिस से साफ़ शरीक करना ज़ाहिर है अगरचे मज़हबे सही हुरमते जानवर है मगर कुफ़्र का हुक्म नहीं देते के वोह बातनी (दिल के अन्दर की बात) है क्या मालूम के उसकी नियत क्या है ।

Scanned by CamScanner

"दुर्रे मुख़्तार" में है-----------------------------------

(तर्जमा :- अगर खुदा के साथ दूसरे का नाम भी लिया तो ज़ब्ह किया गया जानवर हराम होगा, जैसे باسم اللہ واسم فلان कहा अल्लाह के नाम से और फ़लाँ के नाम से)-ان عطف حرمت نحو باسم اللہ واسم فلان-

"रद्दुल मोहतार" में है-----------------------------------

هو الصحیح وقال ابن سلمة لا تصیر میتة لانها لو صارت میتة یصیر الرجل کافرا- خانیه- قلت تمنع الملازمة بان الکفر امر باطنی والحکم به صعب فیفرق کذا فی شرح المقدسی، شرنبلالیة-

(तर्जमा :- यही सही है और इब्ने सलमा ने कहा के वोह ज़ब्ह किया गया जानवर मुरदार न होगा इस लिए के अगर मुरदार हो जाए तो ऐसा ज़ब्ह करने वाला काफ़िर हो जाएगा । मैं कहता हूँ इस से कुफ़्र ज़रूरी मानना सही नहीं इस लिए के कुफ़्र के काम एक अन्दरूनी चीज़ है और उस पर हुक्म लगाना मुश्किल है तो कुफ़्र के हुक्म में एहतीयात की जाए ।)

अल्लाहो अकबर ! खु़द ज़ब्ह करने वाला ख़ास तकबीर में ज़ब्ह के वक्त खुदा के साथ गै़र का नाम मिला कर पुकारे और काफ़िर न हो जब तक शिर्क के मअ़्ने का इरादा न करे बल्कि बनामे खुदा बनामे मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم कहे और उस नामे पाक के लेने से नबी صلی اللہ علیہ وسلم की तअ़्ज़ीम ही चाहे हुज़ूर की अ़ज़्मत ही के लिए ख़ास ज़ब्ह के वक्त खुदा के नाम के साथ मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का नाम कहे तो जानवर हरगिज़ हराम व मकरूह भी नहीं, मगर ज़ब्ह से पहले अगर किसी ने यूँ पुकार दिया के फ़लाँ का बकरा फ़लाँ की गाये, तो पुकारने वाला मुश्रिक और उस के साथ येह लफ़्ज़ मुँह से निकलते ही जानवर की भी काया पलट हो कर फ़ौरन बकरी से कुत्ता, गाये से सुवर हो गया !! अगरचे पुकारने वाला ज़ब्ह करने वाला न हो अगरचे अभी न वक्ते ज़ब्ह न तकबीर कहते वक्त

येह कहा गया हो । मआज़ल्लाह वोह अलफ़ाज़ क्या थे जादू के मन्तर थे के छूते ही जानवर की हैसियत बदल गई, ऐसे ज़बरदस्ती के अहकाम शरीअ़ते मुतहर से बिल्कुल बेगाना है ।

(नियाज़ में जानवर ज़ब्ह करने वालों के) ईबादत की नियत होने में (बद मज़हबों की तरफ़ से) येह दलीलें शिर्क पेश की जाती हैं के इस जानवर के ज़ब्ह करने की बजाए गोश्त ख़रीद कर तक्सीम करना उन के (यानी सुन्नियों के) नज़दीक काफ़ी नहीं होता तो मालूम हुआ के एसाले सवाब मक्सद नहीं बल्कि ग़ैरूल्लाह के लिए ज़ब्ह करना मक्सद है और साफ़ खुला शिर्क है । अगरचे वोह (सुन्नी) साफ़ कह रहे है के हमारा मतलब सिर्फ़ एसाले सवाब ही है ।

اقول :- (इस एतराज़ का जवाब येह है के) इस से सिर्फ़ इतना साबित हुआ के ख़ास ज़ब्ह मुराद है ज़ब्ह ग़ैर के लिए कहाँ से निकाला, क्या ज़ब्ह पर सवाब कोई चीज़ नहीं या गोश्त देने में वोह भी हासिल हो जाता है !

"इनायह" में है-----------------------------------

التضحية فيها افضل من التصدق بثمن الاضحية لان فيها جمعا بين التقرب باراقة الدم والتصدق والجمع بين القربتين افضل اھ ملخصًا-

(*तर्जमा :-* .क़ुर्बानी करना उसकी क़ीमत के सदक़ा करने से अफ़ज़ल है इस लिए के उस में दोनों चीज़ों का जमा होना है. एक ख़ून बहाना दूसरे सदक़ा करना, और दोनों .क़ुर्बतों का जमा करना अफ़ज़ल है ।)

अ़व्वाम ऐसी चीज़ों में आ़म तबदीली पर राज़ी नहीं होते मसलन जो आटा एक मुठ्ठी रोज़ाना अपने घर के ख़र्च से निकालते और हर महीने हुज़ूर पुरनूर सैय्यदना ग़ौसे आज़म رضی اللہ تعالیٰ عنہ की नियाज़ दिला कर मोहताजों को खिलाते है अगर उनसे कहीये के येह आटा जो जमा हुआ हैं अपने ख़र्च में लाईये, और उस के बदले और पकाईये, कभी न मानेंगे, हलाँकि आटे में कोई ज़ब्ह का इरादा नही । और ज़ब्ह में भी अगर उस जानवर के बदले दूसरा जानवर दीजिये हरगिज़

न लेंगे, हालाँकि ज़ब्ह करने में दोनों एक से है। तो उसका काफ़ी न समझना उसी ख़्याल की तरह है जैसे के (एसाले सवाब के लिए) ख़ास दीन का मुक़र्रर करना न के मआज़ल्लाह झूटे वहमों पर, ख़ास कर जब के वोह बेचारे साफ़ कह रहे है के हम गै़र की ईबादत नहीं चाहते, सिर्फ़ एसाले सवाब मक़सद है।

और अगर इन्साफ़ कीजिये तो इस तबदीली के बारे में उन का वोह ख़्याल बे अस्ल भी नहीं अगरचे उन्हों ने उस में शिद्दत ज़्यादा समझ लिया हो जिन चीज़ों पर क़ुराबत की नियत कर ली गई शरीअ़ते मुतहर भी बिला वजह उनका बदलना पसंद नहीं फ़रमाती।

लिहाज़ा अगर ग़नी (माल व दौलत वाला) क़ुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदे और किसी ख़ास शख़्स की नज़्र न हो तो जानवर मुतय्यन (Fix) नहीं हो जाता उसे इख़्तियार है के उस के बदले दूसरा जानवर क़ुर्बानी करे फिर भी बदलना मकरूह है के जब उस पर नियत कर ली तो बग़ैर किसी वजह के तबदीली न चाहिये। "हिदाया" में है-----

بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع -

उसी (हिदाया) में है-----------------------------------

ويكره ان يبدل بها غيرها -

(*तर्जमा* :- और मकरूह है के उस जानवर की जगह दूसरा जानवर ज़ब्ह किया जाए।) इसी तरह "तबैय्यनुल हिक़ाइक़" वग़ैरा में है।

मुसलमानों पर बद गुमानी हराम और जहाँ तक मुमकिन हो उसके कहने व करने को अच्छे इरादे व नियत पर समझना वाजिब, और यहाँ दिल के इरादे पर बग़ैर इस के वोह उस का क़ाएल भी नहीं तो हुक्म लगाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं और हुक्म भी कैसा कुफ़्र व शिर्क का! जिसमें आ़ला दर्जे की एतियात फ़र्ज़ है यहाँ तक के कमज़ोर से कमज़ोर शक से भी बचाओ का पहलू निकलता हो तो उसी पर भरोसा ज़रूरी।

अगर फ़र्ज़ कीजिये कुछ बेवाक़ुफ़ों पर शरई सुबूत भी हो के उन का

Scanned by CamScanner

मक़सद मआज़ल्लाह (जानवर ज़ब्ह करने से) गै़रूल्लाह की ईबादत है तो कुफ़्र का हुक्म उन्हीं पर सही होंगा उन के सबब आम हुक्म लगा देना और बाक़ी लोगों की भी यही नियत समझ लेना महेज़ ग़लत व झूट है ।

अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है-----------------

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

(तर्जमा :- और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ न उठाएगी ।) हक़ येह है की न आ़म तौर पर इस नाम पुकारने पर शिर्क का हुक्म सही न उसकी वजह से जानवर मुरदार मान लेना दुरूस्त, बल्कि ज़ब्ह करने वाले की नियत पूछेंगे । अगर इक़रार करे के उसकी मुराद गै़र की ईबादत है तो बेशक मुश्रिक कहेंगे वरना हरगिज़ नहीं, और (ज़ब्ह में) ना जाइज़ के हुक्म में सिर्फ़ ज़ब्ह करने वाले की नियत व कहने और ख़ास कर ज़ब्ह करते वक़्त की नियत ही पर मदार रखेंगे । अगर जानवर का मालिक हो या गै़र मालिक मुसलमान ने मआ़ज़ल्लाह उसी शिर्क की नियत के साथ ज़ब्ह किया तो बेशक हराम के वोह उस नियत से मुरतद (दीने इस्लाम से फिरने वाला) हो गया और मुरतद का ज़ब्ह किया जानवर हलाल नहीं । और अगर अल्लाह عزوجل के लिए ज़ब्ह किया और जान बुझ कर तकबीर न छोड़ी तो बेशक हलाल अगरचे इस पर एसाले सवाब या औलिया-ए-किराम की नज़्र या लोगों को नफ़ा देना वगै़रा मक़सद हो । अगरचे गै़र ज़ब्ह करने वाले की नियत मआ़ज़ल्लाह वही गै़र की ईबादत हो अगरचे ज़ब्ह से पहले या ज़ब्ह न करने वाले ने ज़ब्ह के वक़्त किसी का नाम पुकारा हो और मालिक से वोह ना पाक नियत साबित होने पर भी ज़ब्ह पर कोई असर नहीं करेगा जब तक ख़ूद उससे भी उसी नियत पर ज़ब्ह करना साबित न हो के जब उससे वोह नियत साबित नहीं और मुसलमान अपने रब عزوجل का नाम ले कर ज़ब्ह कर रहा है तो उस पर बद गुमानी हराम व ना जाइज़ है । मुसलमानों के ग़लत

वहमों पर मआज़ल्लाह उन्हें काफ़िर समझना खुदा के हलाल को हराम कह देना है । नामे इलाही जो तकबीर के वक़्त लिया गया उसे ग़लत व बे असर ठहराना हरगिज़ सही नहीं हो सकता । अल्लाह عزوجل इरशाद फ़रमाता है-----------------------

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ

"तुम्हें क्या हुआ के न खाओ उस जानवर से जिस के ज़ब्ह में अल्लाह का नाम याद किया गया" ।

इमाम फ़ख़रूद्दीन राज़ी رحمۃ اللہ علیہ "तफ़्सीरे कबीर" में फ़रमाते है-------------------------------------

انما كلفنا بالظاهر لا بالباطن فاذا ذبحه على اسم الله وجب ان يحل ولا سبيل لنا الى الباطن ـ

"यानी हमें शरीअ़त ने ज़ाहिर पर अ़मल का हुक्म फ़रमाया है बातिन की तकलीफ़ न दी । जब उसने अल्लाह عزوجل का नामे पाक ले कर ज़ब्ह किया जानवर हलाल हो जाना वाजिब हुआ के दिल का इरादा जान लेने की तरफ़ हमें कोई राह नहीं" ।

येह चन्द नफ़ीस व ख़ूबसूरत बातें याद रखने के क़ाबिल हैं के बहुत से इन में सख़्त ख़ता करते है ।

وباللہ العصمۃ والتوفیق وبہ الوصول الی التحقیق واللہ سبحانہ اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم ـ

کتبہ

عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ بمحمدن المصطفی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم

आला हज़रत की चन्द नायाब किताबें अब हिन्दी में भी,

आज ही लीजिये

कन्ज़ुल ईमान (10, पारे) Rs. 40/-

रूहों का आना Rs. 5/-

तफ़सीर ख़ज़ाईनुल ईरफ़ान (पहला पारा) Rs. 12/-

तबर्रुकात के आदाब व फ़ज़ाइल Rs. 8/-

नजात नामा Rs. 6/-

फ़रिश्तों की मौत व हयात Rs. 5/-

अज़ाने क़ब्र Rs. 8/-

ख़ेज़ाब सबबे अज़ाब Rs. 6/-

शफ़ाअ़ते मुस्तफ़ा Rs. 6/-

महमान नवाज़ी के फ़ज़ाइल Rs. 6/-

अहकामे तस्वीर Rs. 7/-

अंगूठे चुमने का मस्अला Rs. 5/-

निदा-ए-या रसूलुल्लाह Rs. 7/-

ईरफ़ाने शरीअ़त (हिस्सा अव्वल) Rs. 8/-

हुक़ूक़े वालदैन Rs. 8/-

झूटे रसूल का नया कलमा Rs. 5/-

दावते चेहलुम Rs. 6/-

रसूल का इल्मे ग़ैब Rs. 6/-

ज़बीहे इसाले सवाब Rs. 5/-

वालदैने मुस्तफ़ा Rs. 8/-

तमहीदे ईमान Rs. 8/-

इमामते सिद्दीक़ व अ़ली Rs. 5/-

महबूब की आमद Rs. 7/-

क़रीन-ए-ज़िन्दगी Rs. 30/-

मौत से क़ब्र तक Rs. 7/-

लेखक :- मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ अशरफ़ी रज़वी


Scanned by CamScanner